

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
विश्वास के प्रेरक, सुरक्षित और पोषक आहार के आश्वासक
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

दिनांक 01 जून, 2022

सूचना

विषय: संयुक्त निदेशक (विशेषज्ञता : तकनीकी) के पद के अंतिम परिणाम की घोषणा - डीआर-01/2021

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विज्ञापन संख्या डी-01/2021 दिनांक 16 अप्रैल 2021 द्वारा संयुक्त निदेशक (तकनीकी विशेषज्ञता) के 07 पदों (04 अनारक्षित, 02 अ.पि.व(एनसीएल के लिए आरक्षित), 01 अ.जा. के लिए आरक्षित) के लिए 17 और 18 मई 2022 को साक्षात्कार लिया गया था। साक्षात्कार के लिए बुलाए गए 35 उम्मीदवारों में से, साक्षात्कार के लिए 32 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। कुल भारित अंकों (लिखित 85%) + साक्षात्कार 15%) के आधार पर चयनित उम्मीदवारों के नाम, जैसाकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हैं, निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	अनुक्रमांक	नाम	श्रेणी
1.	41818320	कविता रामासामी	अनारक्षित
2.	42020029	अनुराग सिंह	अपिव*
3.	41818404	श्रीनिवासन जी.वी.	अनारक्षित
4.	42424053	बालसुब्रामणियन के	अनारक्षित
5.	42626023	एम कान्न्न	अपिव
6.	41818188	पुष्प वनम	अपिव
7.	42727057	महाविद्या राजेन्द्र हीराभाई	अजा

*अनारक्षित रिक्ति के लिए चयनित

(मदन कुमार झा)
सहायक निदेशक (भर्ती)

सेवा में

सीटीओ, एफ.एस.एस.ए.आई. को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

फाइल संख्या एचआर/12013/5/2022-एचआर-एफएसएसएआई
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
विश्वास के प्रेरक, सुरक्षित और पोषक आहार के आश्वासक
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

दिनांक 25 मई 2022

सूचना (डीआर-04-2021)

एफएसएसएआई में सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न पदों को भरने के लिए एफएसएसएआई की भर्ती सूचना संख्या डीआर-04-2022 दिनांक 30 सितम्बर 2021 के संदर्भ में।

2. विज्ञापन संख्या डीआर-04-2022 दिनांक 30 सितम्बर 2021 के शीर्षक "एफएसएसएआई में संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए" के अंतर्गत पार्ट 3 के अनुसार, भर्ती विनियम की अधिसूचना की तारीख अर्थात् 01.10.2018 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण की सेवा में संविदा आधार पर नियुक्त सभी व्यक्ति चयन की प्रक्रिया में वेटेज के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा, उन पदों की सभी श्रेणियों के लिए अधिकतम कुल 3 बार ही आवेदन कर सकेंगे जिनमें उन्हें आयु में छूट देने और वेटेज प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, आयु में छूट प्राप्त या वेटेज प्राप्त किसी संविदा आधार नियुक्त कर्मचारी के चयनित हो जाने एवं खाद्य प्राधिकरण में सेवा में कार्यग्रहण कर लेने पर वह सीधी भर्ती के विज्ञापन में किसी चयन प्रक्रिया में आयु में छूट या वेटेज का दावा करने का पात्र नहीं होगा।

3. एफ.एस.एस.ए.आई. के संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों, जिन्हें प्रत्येक नाम के सामने विनिर्दिष्ट पद/पदों के लिए सीधी भर्ती में आयु में छूट और वेटेज के लिए विचार किया गया है/ विचार नहीं किया गया है, की सूची क्रमशः अनुबंध क और अनुबंध ख पर दी गई है। इसके अलावा, डीआर-04/2021 के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों, जिन्होंने एफएसएसएआई के संविदात्मक कर्मचारियों की स्थिति होने का दावा किया था लेकिन एफएसएसएआई के रोल में नहीं हैं, की सूची अनुबंध ग में दी गई है।

4. सभी उम्मीदवार जो आयु में छूट प्राप्त करने और वेटेज के लिए पात्र पाए गए हैं, चयन प्रक्रिया में वेटेज / आयु में छूट प्रदान की जाएगी बशर्ते कि वे इसके लिए पात्र हों। इसके अलावा, विज्ञापन के अनुसार वेटेज के लिए किसी उम्मीदवार के पात्र होने की दशा में लेकिन उसका नाम सूची में दर्शाया नहीं गया हो तो वे 30.05.2022 तक ईमेल email on assistantdirector-hr@fssai.gov के माध्यम से भर्ती प्रकोष्ठ को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. इस संबंध में 30.05.2022 के पश्चात किसी प्रकार के पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

संलग्न: उपर्युक्त के अनुसार

(प्रदीप कुमार जैन)
सहायक निदेशक (भर्ती)